

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

सर्वजनिक हस्त ननिदगदा का. वि. दिनांक
राजस्थान, बकुरद
1-सुभानु ब्रयम/ए 758
2-पत्र प्राप्त 28/09/21
3-दिनांक
4-पत्रवली नं. 27 SEP 21
जयपुर, दिनांक

क्रमांक अ .1(21)सानि /17(Rk-00094)

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत (श्री विजय कुमार शर्मा, अधिशाषी अभियंता सिविल के प्रकरण में) गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक अभियंता (सिविल) को वरिष्ठता योग्यता के आधार पर अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

रिव्यू डीपीसी वर्ष 2010-11 :-

S.No.	Name of Officer	
1	Hanumana Ram	
2	Jalam Singh	
3	M.K. Pancholi	
4	Narain Lal Sirvi	
5	B.S.Nama	
6	A.K. Agarwal	
7	G.S. Chouhan	
8	I.K. Panchariya	
9	Dinesh Kumar Gopaliya	
10	Vijendra Kr. Jain	
11	Ramesh Chand Jain	
12	Om Prakash Mathur	
13	Satya Narain Agarwal	
14	Jodha Ram Choudhary	
15	Shanti Lal Thorecha	
16	Ramesh Chand Mehta	
17	Ashish Kumar Gupta	
18	Suresh Chand Joshi	
19	Ram Prakash Mirdha	
20	Laxmi Narain Sharma	
21	Harsh Lal Mathur	
22	Rajendra Pd. Kularia	
23	Subhash Kr. Saxena	
24	Sunil Kumar Mogra	
25	Brijesh Mathur	
26	Mahesh C. Goyal	
27	Kamal Kant Vyas	
28	Suresh Chand Agarwal	

DA

29	Nand Kishore Tak	
30	Chaturbhuj Gupta	
31	Sunil Bhargava	
32	Kailash Chand Gupta	
33	Sangeet Kumar	
34	Ashok Kumar Tanwar	
35	Mahendra Kr. Kaushik	
36	Shish Pal Singh	
37	Vineet Gupta	
38	Sura Ram	
39	Suresh Chand Pareek	
40	Basti Ram Didel	
41	Ashu Kumar Garg	
42	Mahesh Kumar Saini	
43	Manoj Kr. Sharma	
44	Deepak Bhargava	
45	Mahendra singh	
46	Anil Kumar Gupta	
47	Mohan Ram Vishnoi	
48	Suresh Kumar Sharma	
49	Jagdish Prasad Gupta	
50	Deva Ram Vishnoi	
51	Anil Kumar	
52	Sandeep Agarwal	
53	Mukesh Kumar Gupta	
54	Ranveer Singh	
55	Shiv Dayal Gupta	
56	Jyoti Prakash Suthar	
57	Kamal Kant Mishra	
58	Lal Chand	
59	Anil Pareek	
60	Surendra Mohan Verma	
61	Shiv Nath Singh	
62	Arun Bhardwaj	
63	Babu Lal Mali	
64	Jagdish Pd. Yadav	
65	Umesh Kumar Garg	
66	Rajendra Indora	
67	Gajendra Pal Singh Chouhan	
68	Ajay Aeron	
69	Girraj Prasad Gupta	
70	Hazari Ram Vishnoi	
71	Rohitashwa Sharma	
72	Yagdutt Viduwa	
73	Rakesh Jain	

8

74	Vishnu Shanker Meena	ST-1
75	Gopi Nath Meena	ST-2
76	Kesari Lal Meena	ST-3
77	Prahlad Singh	SC-1
78	Om Prakash Choudhan	SC-2
79	Bhagwan Singh Rawal	SC-3
80	Gudhan Lal Verma	SC-4
81	Om Prakash (Verma)	SC-5
82	Chandra Mohan Bairwa	SC-6
83	Rajendra Kumar	SC-7
84	Hazari Lal Meghwal	SC-8
85	Sharwan Kumar	SC-9
86	Iqbal Singh	ST-4
87	Kamal Singh Meena	ST-5
88	Mahesh Chand Meena	ST-6
89	Inderjeet singh Meena	ST-7
90	Kalyan Mal Mandawariya	SC-10
91	Ratan Lal Meena	ST-8
92	Ram Gopal Meena	ST-9
93	Amar Chand Meena	ST-10
94	Sher Singh Meena	ST-11
95	Shree Ram Meena	ST-12
96	Ram Niwas Meena	ST-13
97	Dariyah Singh	ST-14
98	Pankaj Arya	SC-11
99	Bhagwan Singh Meena	ST-15
100	Ajay Kumar Arya	SC-12
101	Ridhi Chand Meena	ST-16
102	Mukesh Chand Meena	ST-17
103	Ghanshyam Singh Dehot	SC-13

श्री विजय कुमार शर्मा को 20 प्रतिशत पेंशन दो वर्ष तक के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण प्रथम बार पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

श्री मोहन लाल स्वामी चयन परिणाम इनके विरुद्ध एसीबी केस संख्या 36/37/2002 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के कारण सील्ड कवर में रखा गया है।

श्री गजपाल सिंह को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 02.12.08 के द्वारा एक वार्षिक वृद्धि संवर्गी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने कारण पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री धर्मेश पायल को दिनांक 31.05.2002 के पश्चात एक अतिरिक्त संतान होने के कारण पदोन्नति हेतु प्रथम बार उपयुक्त नहीं पाया गया।

OLP

श्री अखिलेश कुमार गुप्ता को कार्गिक विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2006 के द्वारा बार वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु द्वितीय बार उपयुक्त नहीं पाया गया।

रिज्यू सीपीसी वर्ष 2011-12 :-

S.No.	Name of Officers	
1	Satya Pal Singh	
2	Girish Jain	
3	Ashish Gupta (VRS 15.6.12)	
4	Bhawani Shanker Sharma	
5	Balendra Pratap Singh	
6	Sanjay Mathur	
7	Sunil Gehlot	
8	Mohan Lal Purbiya (VRS 26.11.12)	
9	Bhupesh Saini	
10	Phool Chand Saini	
11	Ramawatar Kumawat	
12	Bhim Sen Swami	
13	Dwarka Prasad Saini	
14	Suresh Chand Saini	
15	Pawan Kumar Yadav	
16	Chetanya Panwar	
17	Pankaj Yadav	
18	Dinesh Chand	
19	Mohan Ram Naik	SC
		SC

श्री विजय कुमार शर्मा को 20 प्रतिशत पेंशन दो वर्ष तक के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण द्वितीय बार पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

श्री धर्मन्द्र पायल को दिनांक 31.05.2002 के पश्चात एक अतिरिक्त संतान होने के कारण पदोन्नति हेतु द्वितीय बार उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री अखिलेश कुमार गुप्ता को कार्गिक विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2006 के द्वारा बार वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु द्वितीय बार उपयुक्त नहीं पाया गया।

विद्युत डीपीसी वर्ष 2012-13

1	V.K. Sharma	
2	Ashok Kumar	
3	Jagdish Chand Sharma	
4	Sanjay Golwal	
5	Sanwar Mal Swami	
6	Raj Kumar Yadav	
7	Asha Ram Saini	
8	Ashish Kumar Sharma (expired 13.8.13)	
9	Kedar Sharma	
10	Suresh Kumar Swami	SC-1
11	Pura Ram Rathi	SC-2
12	Param Sukh	SC-3
13	Bhika Ram Panwar	ST-1
14	Ram Nath Meena	ST-2
15	Chouth Mal Meena	
16	Kishan Murari Sharma	
17	Manohar Lal Rajawat	
18	Nirmal Kumar Jhamar	
19	Manak Chand Laxkar	
20	Satya Prakash Mathur	
21	Anil Kumar Singhal	
22	Dinesh Kumar Agarwal	
23	Suresh Mathur	
24	Kamal Kumar Jain	
25	A.K. Nag Choudhary	
26	Dinesh Joshi	
27	Pooran Singh	
28	Radha Kishan Mali	
29	Lokesh Poonia	
30	Brijendra Kr. Mittal	
31	Ranveer Singh	
32	Vinod Prakash Mathur	
33	Rakesh Chand Mathur	

५७

34. Pradeep Kr. Agarwal
35. Shyam Sunder Joshi
36. Pradeep Kr. Agarwal
37. Shyam Sunder Joshi
38. Ramesh Chand Gupta
39. Hari Mohan Datta
40. Naresh Chand Singha
41. Govard Singh Sikarwar
42. Sand Mathur
43. Jassa Ram Choudhary
44. Rakesh Kumar Sharma
45. Hari Om Garg
46. Sunder Lal Mahipal
47. Satish Chand Gupta
48. Roop Naram Lak
49. Murari Lal Gupta
50. Shyam Sunder Joshi
51. Pradeep Kr. Agarwal
52. Arvind Kr. Singh
53. Mahesh Chand Agarwal
54. Rajesh Kumar Sharma
55. Surya Prakash Goyal
56. Ram Babu Mangal

श्री भवेन्द्र पायल को दिनांक 31.05.2002 के पर्याप्त एक अतिरिक्त संतान होने के कारण पदोन्नति हेतु जूनीय वार उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री अश्विनी कुमार गुप्ता को कार्गिक विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2006 के द्वारा वार वार्षिक वेतन वृद्धि असवयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु जूनीय वार उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री दिनेश कुमार सिंह को वर्ष 2010-11 में मासनाय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री प्रवीण कुमार तायल को आदेश दिनांक 12.11.08 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असवयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।


श्री राकेश सिरोरिया को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असवयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

२२

निम्नांकित अभियंताओं के विरुद्ध सीसीए-16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनका चगन परिणाम सील्ड कवर किया गया :


1. श्री भंवर लाल रजक (अनु.जाति)
2. श्री भंवर लाल वर्मा (अनु.जनजाति)

आज्ञा से,


(ब्रिजेन्द्र सिंह परमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्गिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।


27/9/2021
(संजय कुमार)
अनुभागाधिकारी


P.T.O.

संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक: प0 1 (19)सानि/ 20/(आरके-00098) दिनांक 27.09.2021 की प्रति वास्ते सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के पद पर रिव्यू पदोन्नति वर्ष 2010-11 से 2012-13 के सम्बंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प0 7-2549(ईईसि)/अनु0प्रथम/ए/2021/प्रे0-758 दिनांक: 28.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सानिवि राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर ।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आ.डी.सी., जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., संभाग, समस्त ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत समस्त ।
7. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव/व0निजी सहायक मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई./क्यू.सी./एन.एच./भवन/विद्युत/वित्तीय सलाहकार /मुख्य वास्तुविद/अति0 मुख्य अभियन्ता (पीपीपी)/तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियन्ता (जांच) अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)/संयुक्त विधि परामर्शी ।
8. सम्बंधित अधिकारी ।
9. निजी /रक्षक पत्रावली



(आरिफ मोहम्मद खान)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर